



# गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक २००७/(३२२/०७) विशी—५ महाराष्ट्र अधिनियम १९९४ (१९९४ चा महा. ३५)  
च्या कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ रोजी स्थापीत व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६(सन २०१७  
चा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम क्रमांक ६) द्वारा संचालित राज्य विद्यापीठ)

(महाविद्यालयीन विभाग)

एम.आय.डी.सी. रोड, कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली — ४४२६०५

E-Mail : arcollegesectiongug48@gmail.com

गो.वि./म.वि/४५६/२०१९

दिनांक: १४/०३/२०१९

## परीपत्रक

प्रति,

मा. प्राचार्य,  
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीशी  
संलग्नित महाविद्यालये  
(चंद्रपुर व गडचिरोली जिल्हा.)

विषय :— प्राचार्य पदमान्यतेच्या प्रस्तावासोबत सादर करण्यात येणाऱ्या कागदपत्राबाबत

संदर्भ :— जा. क. गो.वि./म.वि/६५/२०१८ दिनांक १५/०५/२०१९

महोदय

उपरोक्त संदर्भाकीत विषयांव्ये आपणांस कळविण्यात येते कि, विद्यापीठाकडुन प्रकाशित करण्यात आलेल्या अनुक्रमनिकेतील प्राचार्य पदमान्यतेच्या प्रस्ताव करीता सोबत संलग्नित केलेल्या सुधारीत यादीनुसार प्रस्ताव विद्यापीठात सादर करावा जेणेकरून सदर प्रस्तावावर कार्यवाही घेणे सोईचे होईल करीता नोंद घ्यावी..

(डॉ. व्ही.सी. सिलेय)

प्र.उपकुलसचिव(म.वि)

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

सहपत्र संलग्नित :— उपरोक्तप्रमाणे

विषय:— प्राचार्य पदाला मान्यतेकरिता आवश्यक दस्ताएवज

( सुधारीत प्रत )

संस्थेचेनांव:—

महाविद्यालयाचेनांव:—

| अ. क्र               | सोबत लागणारे दस्तावेज  | अभिप्राय  |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
|----------------------|--|-----------|-----|-----------|------|--|--|------------|--|--|----------------------|--|--|--|
| १.                   | संस्थेच्या लेटर हेडवर प्रस्ताव असावा   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| २.                   | निवड समितीचा अहवाल सादर करावा प्रपत्रासहीत सादर करावा<br>(Proforma No. A, II, III, IV) तसेच निवड समिती सदस्यांना महाविद्यालयांकडून पाठविण्यात आलेले पत्र सादर करावे.   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ३                    | विद्यापीठाने प्राचार्य पदास “ना हरकत प्रमाणपत्र” झोराक्स प्रत सादर करावी.  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ४                    | सहाय्यक आयुक्त मा.व.क. यांचे अंतिम मान्यता पत्र झोराक्स प्रत सादर करावी.   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ५                    | उपकुलसचिव विशेष विभाग यांचे आरक्षण निर्धारण पत्र झोराक्स प्रत सादर करावी.  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ६                    | संस्थेने नियमानुसार एक स्थानिय व एक राष्ट्रीय अशा दोन वृतपत्रात शैक्षणिक अर्हतेच्या तपशिलासह जाहिरात झोराक्स प्रत सादर करावी.  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ७                    | संस्थेने विद्यापीठाकडून रितसर निवड समितीचे गठन केले आहे/नाही   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ८                    | निवड समितीच्या मुलाखती दरम्यान निवड समितीचे गणपुर्ती नुसार उपस्थित सदस्य   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ९                    | प्राचार्य पदाकरिता शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारास विद्यापीठ मान्यताप्राप्त शिक्षक म्हणुन अध्यापनाचा /इंडस्ट्रिचा परिनियम /निर्देश/एआयसीटीईच्या तरतुदीनुसार अनुभव एकुण वर्षे आहे.   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १०                   | प्राचार्य पदाकरिता शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवार सेवानिवृत्त प्राचार्य/ शिक्षक आहे/नाही   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| ११                   | प्राचार्य पदाकरिता शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवाराने पुर्वी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयाचे ना—हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १२                   | संस्थेस/महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त संस्थेस / महाविद्यालयास अल्पसंख्याक दर्जा असल्यास विद्यापीठ परिनियमातील तरतुदीनुसार निवड समितीचे अर्हता प्राप्त सदस्य आहे/नाही.  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १३                   | उमेदवाराचे गुणपत्रिका /पदवी प्रमाणपत्र पडताळणी सादर करावे<br>नेट/सेट/पी.एचडी/ प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र<br><table border="1"><thead><tr><th>अ.क्र</th><th>गुण</th><th>टक्केवारी</th></tr></thead><tbody><tr><td>पदवी</td><td></td><td></td></tr><tr><td>पदव्युत्तर</td><td></td><td></td></tr><tr><td>पी.एचडी प्राप्त वर्ष</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | अ.क्र     | गुण | टक्केवारी | पदवी |  |  | पदव्युत्तर |  |  | पी.एचडी प्राप्त वर्ष |  |  |  |
| अ.क्र                | गुण  | टक्केवारी |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| पदवी                 |  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| पदव्युत्तर           |  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| पी.एचडी प्राप्त वर्ष |  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १४                   | API Score ४०० पॉइंट ची पूर्तीत केलेली असल्यास ए.पी.आय. स्कोर लिहावा तसेच निवड समितीकडून पडताळणी व प्रमाणित करून सादर करावी.  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १५                   | संलग्निकरण शुल्क पावती झोराक्स प्रत सादर करावी   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १६                   | गोडवाना विद्यापीठाचे ना देय प्रमाणपत्र झोराक्स प्रत सादर करावी   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १७                   | संलग्निकरण प्रमाणपत्र झोराक्स प्रत सादर करावी  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १८                   | संस्थेचा प्राचार्य नियुक्तीबाबतचा ठरावसादर करावा.  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| १९                   | प्राचार्याचे आदेश पत्र सादर करावे.   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| २०                   | प्राचार्याचे रूजु पत्र सादर करावे.   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| २१                   | शासकिय प्रतीनीधी यांना पाठविण्यात आलेले पत्राची सत्यप्रत (अनुदानित महाविद्यालयांकरीता)   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| २२                   | उमेदवारांचे उपस्थिती पत्र सादर करावे.  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| २३                   | इतर संबंधित प्रपत्रे आवश्यकतेनुसार   |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |
| २४                   | उपरोक्त सर्व प्रपत्रे व दस्ताएवज प्राचार्य/अध्यक्ष/सचिव यांच्या स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेले असणे आवश्यक राहील  |           |     |           |      |  |  |            |  |  |                      |  |  |  |